



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

नौवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2015 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 82/2014

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय, राजकीयकृत विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय, मॉडल विद्यालय एवं प्रस्वीकृत/ स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के नौवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि नौवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2015 के लिए प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आपूर्ति की जाएगी। परीक्षा संचालन का दायित्व विद्यालय प्रधान का होगा। प्रश्न-सह-उत्तरपुस्तिका के लिए माँग पत्र निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, कार्यालय राँची, संचाल पत्रना प्रमण्डल के सभी विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के सभी विद्यालय प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे। परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही माँग पत्र भरकर देंगे।

माँग पत्र जमा करने की तिथि

प्रमण्डल का नाम	तिथि
सभी प्रमण्डल के लिए	06.01.2015 से 08.01.2015

परिषद् द्वारा निर्धारित माँग पत्र

विद्यालय का नाम	कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	हिन्दी 'ए'	हिन्दी 'बी'	अंग्रेजी	बंगला	उड़िया	उर्दू	संस्कृत	अरबी	फारसी	हो	मुण्डारी	संथाली
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उर्दू	नागपुरी	खोरठा	पंच परगनिया	कुरमाली	खड़िया	गणित	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	वाणिज्य	गृह विज्ञान	संगीत	परिचयात्मक सूचना प्रौद्योगिकी (I.I.T)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

* परिषद् द्वारा निर्धारित प्रश्न-सह-उत्तरपुस्तिका शुल्क देय राशि- 30 रुपये (तीस रुपये) प्रति छात्र-छात्रा।

परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। नये शिक्षा सत्र का प्रारम्भ 01.04.2015 से होगा। शुल्क की राशि MICR बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" राँची के नाम से देय एवं राँची में भुगतये, संचाल पत्रना प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" दुमका के नाम से देय एवं दुमका में भुगतान तथा पलामू प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" डालटेनगंज के नाम से देय एवं डालटेनगंज में भुगतान होगा।

नोट:- जिन विद्यालयों द्वारा परिषद् स्तर से आपूर्ति प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के आधार पर वर्ग 9 की परीक्षा नहीं ली जायेगी, वैसे विद्यालय के छात्र/छात्राओं की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 आयोजित करने का दायित्व परिषद् की नहीं होगी और इसके लिये संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चाँद मुक्तिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/भा./7648/10/SECY/610/14 Dt. 06.12.2014

D.O.P. 07.12.2014